[2022] 10 एस. सी. आर. 87

/

बी. आर. के. आथिथन

बनाम

सन ग्रुप और ए. एन. आर.

(आपराधिक अपील सं. 2080-2083/2022) नवंबर 29,2022

/

[सूर्या कान्ट और जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.** जे**.]**

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 -s.482-आपराधिक कार्यवाही को रद्द करना-तथ्यों के समान सेट पर दूसरी शिकायत-अपीलार्थी के खिलाफ एफ. आई. आर. और उसकी गिरफ्तारी का तथ्य उत्तरदाताओं द्वारा प्रसारित और प्रचारित किया गया था-यू/एस. एस. शिकायत।499 और 500, अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थियों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता सी., न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा खारिज कर दिया गया-उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को वापस लेने के रूप में खारिज कर दिया गया-अपीलार्थी ने उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत दूसरी शिकायत दायर की, जिसमें केवल पुनरीक्षण याचिका का तथ्य जोड़ा गया और दावा किया गया कि दूसरी शिकायत उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार दायर की जा रही है-मजिस्ट्रेट ने प्रत्यर्थियों को तलब किया, उन्होंने यू/एस याचिका दायर की।482, Cr.PC जिसकी अनुज्ञात गई थी-अपील पर, अभिनिर्धारित किया गया:दूसरी शिकायत असाधारण परिस्थितियों में बनाए रखी जा सकती है, जो उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें पहली शिकायत खारिज की गई थी-वर्तमान मामले में, जब पहली शिकायत यू/एस. एस. के तहत दर्ज की गई थी।499, 500, भारतीय दंड संहिता सी., न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पता लगाने के लिए अपनी अधिकारिता के भीतर था कि क्या आरोपी को समन करने के लिए एक प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं, हालांकि, यह पाए जाने पर कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप धाराओं के चौथे अपवाद के बराबर थे।499, भारतीय दंड संहिता सी., उन्होंने प्रत्यर्थियों को प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया-इस तरह की बर्खास्तगी को न्यायिक दिमाग के आवेदन के बिना नहीं कहा जा सकता है, भले ही विधि में गलत हो-अपीलकर्ता ने एक मौका लिया और संशोधन में उच्च न्यायालय के समक्ष बर्खास्तगी के उक्त आदेश को चुनौती दी-जैसे ही उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर संशोधन याचिका पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की, अपीलकर्ता ने विधि में उपलब्ध अपने उपचार पर काम करने के लिए इसे वापस ले लिया-इस तरह के आदेश का अर्थ यह नहीं लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता को समान तथ्यों के सेट पर दूसरी शिकायत

दर्ज करने की अनुमति दी गई है-आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं-दंड संहिता, 1860-एस. एस.499,500.

/

/

/

/

/

/

87 ए.

88 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 10 एस. सी. आर.

याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया **:**इस बात पर कोई विवाद नहीं हो सकता है कि ए**.** आई**.** आर**. 1962** एस**.** सी**. 876** और शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य और एक अन्य **(2012) 1** एस**.** सी**.** सी**. 130** में इस न्यायालय के फैसलों को देखते हुए**,** दूसरी शिकायत असाधारण परिस्थितियों में बनाए रखी जा सकती है**,** जो उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें पहली शिकायत खारिज की गई थी।इसे अलग तरह से कहने के लिए**,** यदि पहली शिकायत को मामले के गुण**-**दोष में या तकनीकी आधार पर और**/**या एक तर्क को वापस करके खारिज कर दिया गया था जिसे विधि में विकृत या बेतुका कहा जा सकता है**,** और**/**या जब दूसरी शिकायत का आवश्यक आधार ऐसे तथ्यों के समूह पर आधारित है जो या तो उस समय मौजूद नहीं थे जब पहली शिकायत दर्ज की गई थी या शिकायतकर्ता संभवतः उस समय ऐसे तथ्यों पर अपना हाथ नहीं रख सकता था**,** तो दूसरी शिकायत को स्वीकार करने के लिए एक अपवाद बनाया जा सकता है।हालाँकि**,** ये सिद्धांत मामले की परिस्थितियों के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं हैं।जब पहली शिकायत मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **499** और **500** के अंतर्गत दर्ज की गई थी**,** तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पता लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था कि क्या आरोपी को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं।इसमें अनिवार्य रूप से एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए न्यायिक दिमाग का उपयोग शामिल था कि क्या अभियुक्त को राशि दी जाए या नहीं।तत्काल मामले में**,** न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता सी**.** की धारा **499** के चौथे अपवाद के अनुरूप थे**,** उन्होंने प्रत्यर्थियों को प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया।ऐसी बर्खास्तगी को न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना नहीं कहा जा सकता है।न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग और एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचना दो अलग**-**अलग

चीजें हैं।उचित विवेक के प्रयोग के बाद भी न्यायालय एक गलत निष्कर्ष पर पहुँच सकता है और ऐसा आदेश हमेशा एक उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायसंगत होता है।भले ही उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया गया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि निचली विचारण न्यायालय ने अपना दिमाग नहीं लगाया।अपीलार्थी ने एक मौका लिया और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पहली शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी। आदेश की सामग्री से यह स्पष्ट है कि जैसे ही उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की, अपीलार्थी ने अपना उपाय तैयार करने के लिए उसे वापस ले लिया जो विधि में उपलब्ध हो सकता है।यह ए

/

/

/

/

/

/

/

89

बी. आर. के. अथितान बनाम सन ग्रुप और ए. एन. आर.

आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसने अपीलार्थी को समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है।उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश के पैरा सं. **19** और पैरा सं. **22** में लिया गया दृष्टिकोण, इस प्रकार, विधि का सही कथन प्रतीत होता है।भले ही पहली शिकायत को खारिज करते समय न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश विधि ी रूप से गलत था, लेकिन यह निचली विचारण न्यायालय द्वारा विवेक का उपयोग न करने के बराबर नहीं है।उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाई गई।**[**पारस **14-17,19** और **20] [92-G-H; 93-A-G; 94-C-D]**

/

प्रमंथ नाथ तालुकदार बनाम सरोज रंजन सरकार आकाशवाणी

1962 एससी 876:[1962] पूरक।एससीआर 297; शिवशंकर

/

सिंह बनाम बिहार राज्य और दूसरा **(2012) 1** एस**.** सी**.** सी**. 130**

:[2011] 13 एस**.** सी**.** आर**. 247-**पर निर्भर।

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम भारत संघ **(2016) 7** एससीसी

221 :[2016] 3 एस**.** सी**.** आर**. 865-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1962] पूरक।एससीआर **297**

पर विश्वास किया

पैरा **14**

[2011] 13 एससीआर **247**

पर विश्वास किया

पैरा **14**

[2016] 3 एससीआर **865**

संदर्भित

पैरा **17**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः2022 की आपराधिक अपील संख्या 2080-2083।

/

2017 की आपराधिक मूल याचिका (एम. डी.) संख्या 1246 और 1298-1300 में मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के दिनांकित 30.08.2019 के निर्णय और आदेश से।

/

पी. वी. योगेश्वरन, आशीष कुमार उपाध्याय, वाई. लोकेश, वी. सिबी कारगिल, वी. कंधा प्रभु, एल. आर. वेंकटेशन, सुश्री मैत्री गोल, सुश्री प्रियंका चौधरी, हेमंत कुमार निरंजन, के. के. चौहान, अधिवक्ता।अपीलार्थी के लिए।

सत्यनारायण, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभिषेक मल्होत्रा, सुश्री लिज़ मैथ्यू, हर्ष बुच, सुश्री वसुधा जैन, के. वी. जगदीश्वरन, सुश्री जी. इंदिरा, हरनामन सिंह, पी. गंदीपन, श्रीमती कोज यायुंग, कश्यप, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

/

/

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

सूर्या कान्ट, जे।

देरी को माफ कर दिया गया।

2. छुट्टी दे दी गई।

/

3. अपीलार्थी मद्रास, मदुरै पीठ में उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30-08-2019 के निर्णय और आदेश पर हमला करता है, जिसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में, 'Cr.P.C') की धारा 482 के अंतर्गत याचिका की अनुज्ञात और आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया। 2017 का एस. टी. सी. No.45, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के अंतर्गत दायर किया गया, जिसे अपीलार्थी ने प्रत्यर्थियों के खिलाफ दायर किया था।

/

4. संक्षेप में कहा गया है कि तथ्य यह है कि 2013 की प्रथम सूचना रिपोर्ट (आई. डी. 1) अपीलार्थी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 468 के अंतर्गत तिरुचेर तालुक पुलिस, टुटुकोडी जिले के समक्ष एक अधिवक्ता के समय दर्ज की गई थी, जिसने आरोप लगाया था कि अपीलार्थी ने विभिन्न विधि महाविद्यालयों में उम्मीदवारों को प्रवेश का आश्वासन देकर भारी मात्रा में धन लिया था।5. एफ. आई. आर. दर्ज करने और उस मामले में अपीलार्थी की गिरफ्तारी के तथ्य को उत्तरदाताओं द्वारा टेली-कास्ट किया गया और टीवी और प्रिंट मीडिया में प्रकाशित किया गया।

/

6. अपीलार्थी ने यह महसूस करते हुए कि प्रत्यर्थियों की कार्रवाई आपराधिक मानहानि के बराबर है, भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 और 500 आदि के अंतर्गत आपराधिक शिकायत दायर की, जिसे हालाँकि, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने निम्नलिखित आदेश पारित करके खारिज कर दियाः-

/

“सुना गया कि याचिकाकर्ता द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उत्तरदाताओं ने याचिकाकर्ता के खिलाफ मानहानि को व्यापक रूप से प्रस्तुत किया और प्रकाशित किया।उपलब्ध सामग्री के अवलोकन पर जो पता चलता है कि याचिकाकर्ता की सामग्री भारतीय दंड संहिता सी. की यू/एस. 499 के चौथे अपवाद में आती है। इसलिए, कथित अपराधों के लिए प्रत्यर्थियों के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।इसलिए इस याचिका को खारिज कर दिया जाता है।

/

/

7. पीड़ित अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन दायर किया लेकिन इसे निम्नलिखित शर्तों में 10-06-2015 पर वापस ले लिया गयाः- ए.

/

91

बी. आर. के. अथितान बनाम सन ग्रुप और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

“पुनरीक्षण याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा किए गए समर्थन के अनुसार, इस पुनरीक्षण याचिका को याचिकाकर्ता को विधि द्वारा ज्ञात तरीके से अपना उपचार तैयार करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया है। "

8. इसके बाद, अपीलार्थी ने दूसरी आपराधिक शिकायत दर्ज की,अर्थात्, तिरुचेंदूर में न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में एस. टी. सी. 45/2017 जो भी उन्हीं प्रावधानों के अंतर्गत था जो उनकी पहली शिकायत थी।

/

9. यह शायद ही विवाद में है कि दूसरी शिकायत पहली शिकायत की प्रतिकृति थी जिसमें प्रत्येक कथन समान था, सिवाय इसके कि दूसरी शिकायत में, अपीलार्थी ने एक और अनुच्छेद No.11 जोड़ा, जिसमें उच्च न्यायालय के समक्ष आपराधिक संशोधन दायर करने के तथ्य को शामिल किया गया था; उसकी अस्वीकृति और आगे दावा किया गया कि उसने "मद्रास उच्च न्यायालय की माननीय मदुरै पीठ के आदेश के अनुसार" दूसरी शिकायत दायर की थी।

/

10. दूसरी शिकायत में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट दंड प्रक्रिया संहिता को तलब किया, जिसने उन्हें उच्च न्यायालय के समक्ष आई. डी. 1 की धारा 482 के अंतर्गत एक याचिका दायर करने के लिए प्रेरित किया, जिसमें मुख्य रूप से इस आधार पर उक्त शिकायत को रद्द करने की मांग की गई कि तथ्यों और परिस्थितियों के एक ही सेट पर दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं

थी।आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 30-08-2019 के माध्यम से, उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों द्वारा दायर याचिका को अनुज्ञात कर लिया और परिणामस्वरूप, अपीलार्थी द्वारा दायर दूसरी शिकायत को रद्द कर दिया गया है।

/

/

11. उच्च न्यायालय ने उक्त निष्कर्ष पर पहुँचते हुए निम्नलिखित निर्णय दिया हैः-

"उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, मुझे अब इस मुद्दे पर विचार करने दें।प्रतिवादी द्वारा दायर की गई पहली शिकायत में किए गए कथनों के साथ-साथ गवाहों के शपथ पत्र वाले बयानों पर विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया था।पूरी सामग्री पर विचार करने पर, विद्वान मजिस्ट्रेट इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि शिकायत पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 के चौथे अपवाद के अंतर्गत आती है, उन्होंने उत्तरदाताओं को प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया और इसमें आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था और उसे खारिज कर दिया।पहले के आदेश के अवलोकन पर, यह देखा जा सकता है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने विधिवत अपना दिमाग लगाया था और यह संतुष्ट होने पर कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था, क्योंकि शिकायत में लगाए गए आरोप केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत आते हैं, और शिकायत को खारिज कर दिया, और

/

/

/

रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर पूर्ण विचार करने के बाद आदेश पारित किया गया है, क्या आदेश सही है या नहीं, यह पूरी तरह से एक अलग मुद्दा है।एक बार जब एक विद्वान मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर अपना दिमाग लगाया और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आरोपी के खिलाफ कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनाया गया था और शिकायत को खारिज कर दिया गया था, तो एक अन्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यह नहीं मान सकता कि उसके पूर्ववर्ती द्वारा पारित पहले का आदेश मान्य नहीं है, यह वस्तुतः पहले के आदेश की समीक्षा करने के बराबर है, जो धारा 362 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत वर्जित है। शिकायतकर्ता के लिए उपलब्ध एकमात्र

उपाय इसे उपयुक्त मंच के समक्ष चुनौती देना और उस आदेश को दरकिनार करना है।वर्तमान मामले में, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता पहले ही इस न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण के माध्यम से आदेश को चुनौती दे चुका है, लेकिन बाद में, उसने पुनरीक्षण वापस ले लिया है और पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया है।उपरोक्त परिस्थितियों में, संशोधन को खारिज करने के बाद, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता उसी तथ्य पर किसी अन्य शिकायतकर्ता को बनाए नहीं रख सकता है। "12. उच्च न्यायालय ने पैरा 22 में आगे निम्नलिखित प्रभाव का अवलोकन किया हैः-

/

/

/

“जैसा कि पहले ही ऊपर चर्चा की गई है, तत्काल मामले में दूसरी शिकायत पहली शिकायत में दिए गए तथ्यों की प्रतिकृति है और दूसरी शिकायत में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया है।दोनों शिकायतों में मुख्य मुद्दा एक ही है।दूसरी शिकायत भी शिकायत के मनोरंजन के लिए किसी भी असाधारण परिस्थिति का खुलासा नहीं करती है।पहले की शिकायत को रिकॉर्ड पर उपलब्ध पूरी सामग्री पर पूर्ण विचार करने के बाद खारिज कर दिया गया था, जब तक कि दंड प्रक्रिया संहिता धारा 203 के अंतर्गत शिकायत को खारिज करने का आदेश एक सक्षम मंच द्वारा खारिज नहीं किया जाता है, दूसरी शिकायत बनाए रखने योग्य नहीं है।13. हमने अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील के साथ-साथ उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है और रिकॉर्ड का अध्ययन किया है।

/

/

14. इस फैसले को देखते हुए कोई झगड़ा नहीं हो सकता है।

/

न्यायालय ने ए. आई. आर. 1962 सुप्रीम कोर्ट 876 और शिवशंकर सिंह बनाम बिहार राज्य मामले में "प्रमंथ नाथ तालुका बनाम सरोज रंजन सरकार"

और एक अन्य "(2012) 1 एस. सी. सी. 130, दूसरी शिकायत असाधारण परिस्थितियों में बनाए रखने योग्य हो सकती है, जो उस तरीके पर निर्भर करती है जिसमें पहली शिकायत खारिज की गई थी।इसे अलग तरह से कहने के लिए, यदि ए

/

बी. आर. के. अथितान बनाम सन ग्रुप और ए. एन. आर. [सूर्या कान्ट, जे।] ए.

पहली शिकायत को मामले के गुण-दोष में या तकनीकी आधार पर और/या एक तर्क को वापस करके खारिज कर दिया गया था जिसे विधि में विकृत या बेतुका कहा जा सकता है, और/या जब दूसरी शिकायत का आवश्यक आधार ऐसे तथ्यों के समूह पर आधारित है जो या तो उस समय मौजूद नहीं थे जब पहली शिकायत दर्ज की गई थी या शिकायतकर्ता संभवतः उस समय ऐसे तथ्यों पर अपना हाथ नहीं रख सकता था, तो दूसरी शिकायत को स्वीकार करने के लिए एक अपवाद बनाया जा सकता है।

/

15. हालाँकि, हमारे सुविचारित विचार में, ये सिद्धांत मामले की परिस्थितियों के तथ्यों की ओर आकर्षित नहीं हैं।जब पहली शिकायत मुख्य रूप से भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 और 500 के अंतर्गत दर्ज की गई थी, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट यह पता लगाने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर था कि क्या आरोपी को समन करने के लिए प्रथम दृष्टया मामला बनाया गया था या नहीं।

/

16. इसमें अनिवार्य रूप से न्यायिक दिमाग का उपयोग शामिल था ताकि एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके कि आरोपी को तलब किया जाए या नहीं।तत्काल मामले में, विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि अपीलार्थी द्वारा लगाए गए आरोप भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 के चौथे अपवाद के अनुरूप थे, उन्होंने प्रत्यर्थियों को प्रक्रिया जारी करने से इनकार कर दिया।ऐसी बर्खास्तगी को न्यायिक दिमाग के अनुप्रयोग के बिना नहीं कहा जा सकता है।न्यायिक दिमाग का अनुप्रयोग और एक गलत निष्कर्ष पर पहुंचना दो अलग-अलग चीजें हैं।उचित विवेक के प्रयोग के बाद भी न्यायालय एक गलत निष्कर्ष पर पहुँच सकता है और ऐसा आदेश हमेशा एक उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायसंगत होता है।भले ही उक्त आदेश को दरकिनार कर दिया गया हो, इसका मतलब यह नहीं है कि निचली विचारण न्यायालय ने अपना दिमाग नहीं लगाया।

/

/

17. अपीलार्थी ने एक मौका लिया और आपराधिक पुनरीक्षण याचिका में उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी पहली शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी।आदेश की सामग्री से यह स्पष्ट है कि जैसे ही उच्च न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर पुनरीक्षण याचिका पर विचार करने के लिए अपनी अनिच्छा व्यक्त की, अपीलार्थी ने अपना उपाय तैयार करने के लिए उसे वापस ले लिया जो विधि में उपलब्ध हो सकता है।इस आदेश का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उसने अपीलार्थी को समान तथ्यों पर दूसरी शिकायत दर्ज करने की अनुमति दी है।उच्च न्यायालय द्वारा अपने आक्षेपित आदेश के पैरा No.19 और पैरा संख्या 22 में लिया

गया दृष्टिकोण, जैसा कि ऊपर पुनः प्रस्तुत किया गया है, इस प्रकार, विधि का सही कथन प्रतीत होता है।

/

/

18. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील तब इस पर निर्भर करता है

सुब्रमण्यम स्वामी बनाम संघ के मामले में इस न्यायालय का निर्णय

/

94

/

[2022] 10 एस सी आर।

भारत "(2016) 7 एस. सी. सी. 221, यह आग्रह करने के लिए कि यह स्थापित करने की जिम्मेदारी प्रत्यर्थियों पर थी कि अपीलार्थी की पहली शिकायत भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 499 के चौथे अपवाद द्वारा वर्जित थी।

19. हमें ऐसा प्रतीत होता है कि इस तरह का तर्क अपीलार्थी के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष उसके द्वारा दायर आपराधिक संशोधन में उपलब्ध था, जिसमें उसने अपनी पहली शिकायत को खारिज करने के आदेश को चुनौती दी थी।अपीलार्थी को आपराधिक संशोधन को वापस लेने के बजाय, गुण-दोष पर एक आदेश आमंत्रित करना चाहिए था, जिसमें अब उठाए जाने वाले विवाद भी शामिल थे।जैसा कि पहले कहा गया है, भले ही पहली शिकायत को खारिज करते समय विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट का आदेश विधि ी रूप से गलत था, लेकिन यह निचली विचारण न्यायालय द्वारा दिमाग का उपयोग न करने के बराबर नहीं है।

/

/

20. उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांकित 39-08-2019 के आक्षेपित निर्णय में कोई त्रुटि नहीं पाते हैं।21. तदनुसार, अपीलों को खारिज कर दिया जाता है।

/

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

(सहायकः दीपक पंवार, एलसीआरए)

/

/

/

/